(40)

संख्या–510 /XVIII-(2)/12–4(27)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 13 सितम्बर, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भूमि हेतु छोटे एवं सीमान्त कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाली राहत सहायता की दरों में वृद्धि के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के सापेक्ष शासन द्वारा राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त अहेतुक सहायता निम्नानुसार बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मद का नाम	भारत सरकार द्वारा वर्तमान में अनुमन्य दरें	राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित लागू दरें
भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुई क्षति	₹ 25,000/– प्रति हैक्टेयर	₹ 2,500/– प्रति नाली (पर्वतीय क्षेत्र) ₹ 1,00,000/– प्रति हैक्टेयर (मैदानी क्षेत्र)

1– उक्त बढ़ी हुई दर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ही लागू होंगी।

2– उपरोक्तानुसार बढ़ाई गई राहत सहायता तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

3– उक्त के अतिरिक्त उन मदों को छोड़कर जिनकी दरें राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित/बढ़ा दी गई है, शेष मदों की राहत सहायता राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार रहेगी।

4– राहत सहायता वितरण से पूर्व आपदा से हुई क्षति के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की पुख्ता व्यवस्था कर ली जायेगी एवं सत्यापन/प्रमाणीकरण की पुष्टि हेतु समुचित एवं विश्वसनीय अभिलेख/साक्ष्य के आधार पर ही धनराशि लाभार्थियों को स्वीकृत की जायेगी। राहत के स्वीकृति सम्बन्धी आदेश में आपदा का प्रकार (भारत सरकार से अधिसूचित) तथा उसके घटने की स्थिति का भी विवरण दिया जायेगा।

5– राहत वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त लाभार्थियों का विस्तृत विवरण एन.आई.सी. की बेवसाइट पर जिलावार अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– प्रभावितों के बैंक एकाउण्ट होने की स्थिति में राहत राशि के वितरण की कार्यवाही यथासम्बभव e-banking के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। जहॉ e-banking की सुविधा नहीं है, वहां Dimand Draft के माध्यम से धनराशि वितरित की जायेगी।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका आदि में इंगित नियमों तथा मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8– वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त बढ़ी हुई सहायता का भुगतान फिलहाल "राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)" सम्बन्धी लेखाशीर्षक/मद से ही किया जायेगा तथा बढ़ी हुई दरों के कारण वांछित अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति यथासमय शासन स्तर पर कर दी जायेगी।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–82NP/XXVII(5)/2012–13 दिनांक 13 सितम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–510 (1)/XVIII-(2)/12–4(27)/10 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशलालय उत्तराखण्ड।
11– अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–5,
13– गार्ड फाइल।

Omprakash

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव